

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S.B. Civil First Appeal No.786/2018

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सारांश सैनी।

:: आदेश :: 07.9.2018

विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम-4, जयपुर महानगर द्वारा दीवानी वाद संख्या 42/14 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.7.2018 जिसके तहत वादी/अपीलार्थी का वाद बाबत संविदा की विनिर्दिष्ट पालना, स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा खारिज किया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रत्यर्थीगण को अपील के एडमिशन के नोटिस जारी किए जावे।

अपीलार्थी के अधिवक्ता एक सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करे, जो पेश किये जाने पर प्रत्यर्थीगण को आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किये जावे।

निवेदन अनुसार अपीलार्थी के अधिवक्ता को नोटिस तामील हेतु दस्ती प्रदान किये जावे।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे।

स्थगन बाबत सुना गया।

स्थगन के क्रम में विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्वीकृत रूप से तथ्यों

के विपरीत है । उनका कथन रहा कि पक्षों के मध्य करार के क्रम में प्रदर्श-1 दस्तावेज का निष्पादन होना प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या-1 के द्वारा जवाबदावे में स्वीकार किया गया है तथा इसी क्रम में 51,000/-रूपये की राशि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लौटाये जाने का आदेश पारित किया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र प्रदर्श-1 दस्तावेज पर हस्ताक्षरों का टिकट के नीचे/उपर होने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दावा खारिज किया है। उनका यह भी कथन रहा कि दस्तावेज के निष्पादन को प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा स्वीकार करने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेज को प्रमाणित मानने एवं दस्तावेज के निष्पादन की रोशनी में 51,000/-रूपये की राशि लौटाने की सूरत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र तकनीकी आधार पर दावा खारिज किया गया है।

दूसरी ओर प्रकरण में लिप्त संपत्ति को प्रत्यर्थी द्वारा तोड़कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अतः विवादित संपत्ति के क्रम में आगामी तिथि तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने दस्तावेज प्रदर्श-1 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की एवं संपत्ति के फोटोग्राफ दिखलाये ।

सुना गया एवं विचार किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजी साक्ष्य की रोशनी में मामले की तथ्यात्मक स्थिति को मध्यनजर रखते हुए आगामी सुनवाई की तिथि तक इस शर्त पर प्रत्यर्थीगण को वादग्रस्त संपत्ति की मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4

के नोटिस तामील होने के पश्चात ही यह स्थगन आदेश प्रभावी होगा।

तामील के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि प्रत्यर्थीगण के मौके पर अनुपस्थित रहने अथवा तामील प्राप्त करने की इंकारी की स्थिति में प्रत्यर्थीगण के अंतिम निवास स्थान के पते पर दो गवाहान की मौजूदगी में नोटिस को चस्पा कर तामील कराई जावे व इस क्रम में तामील कुनिन्दा आवश्यक रिपोर्ट करे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति